संख्याः 1766/VII-1/18–107ख/2016

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून ,दिनांक 13 सितम्बर, 2018

विषयः श्री मनिन्दर सिंह पुत्र श्री गुरूदीप सिंह, निवासी ग्राम शेरगढ़, पोस्ट माजरी, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून को जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम नेहन्दपुर के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 226ग, 263ज कुल रकवा 0.9240है0 में से 1/2 भाग अर्थात कुल रकवा 0.462 है0 नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त होने के उपरान्त चुगान पट्टा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप सं0 1561/VII–I/80–ख/2016, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 के द्वारा निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, एवं बोल्डर के चुगान/खनन पट्टों में आशय पत्र जारी किये जाने का प्राधिकार शासन में निहित होने के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 2001(1)/VII–I/107–ख/2016, दिनांक 04.01.2017 के द्वारा श्री मनिन्दर सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह, निवासी ग्राम शेरगढ़, पोस्ट माजरी, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून को ग्राम नेहन्दपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार के खसरा सं0 226ग, 263ज कुल रकबा 0.9240 है0 में से 1/2 भाग अर्थात कुल 0.462 है0 नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान का खनन पट्टा स्वीकृति हेतु ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत किया गया था।

2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 242/खनन/हरि0/भू0खनि0ई0/2017–18 दिनांक 30.05.2018 द्वारा श्री मनिन्दर सिंह पुत्र श्री गुरूदीप सिंह, निवासी ग्राम शेरगढ़, पोस्ट माजरी, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून को आशय पत्र पर स्वीकृत क्षेत्र की जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जनपद हरिद्वार के पत्र सं0 593/खनन सहा0/2018 दिनांक 25.05.2018 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री मनिन्दर सिंह पुत्र श्री गुरूदीप सिंह, निवासी ग्राम शेरगढ़, पोस्ट माजरी, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून को उपखनिज के चुगान हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री मनिन्दर सिंह पुत्र श्री गुरूदीप सिंह, निवासी ग्राम शेरगढ़, पोस्ट माजरी, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून को ग्राम नेहन्दपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार के खसरा सं0 226ग, 263ज कुल रकबा 0.9240है0 में से 1/2 भाग अर्थात कुल रकवा 0.462 है0 नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जनपद हरिद्वार के पत्र सं0 593/खनन सहा0/2018 दिनांक 25.05.2018 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति तथा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानानुसार

निम्नलिखित शर्तो के अधीन 01 (एक) वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जनपद हरिद्वार के पत्र सं0 593/खनन सहा0/2018 दिनांक 25.05.2018 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन पट्टाधारक से सुनिश्चित कराये जाने हेतु स्थानीय जिला प्रशासन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी।
2. स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम–17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से पर्यावरणीय अनुमति सं0 593/खनन सहा0/2018, दिनांक 25–05–2018 की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।
3. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबंधित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 पट्टाधारक को निर्गत किया जायेगा।
4. नियम–14 के प्राविधानानुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात उक्त विलेख का पंजीकरण कराने के उपरान्त खनन क्षेत्र से उपखनिज का चुगान प्रारम्भ किया जायेगा।
5. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं0 22(6) के अनुसार चुगान कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वाणिज्यकर विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के बिन्दु सं0 22(3) के अनुसार चुगान पट्टा क्षेत्र के प्रवेश एवं निकासी गेटों पर कम्प्यूटराईज्ड धर्मकांटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वंय के व्यय पर स्थापित किया जायेगा तथा रिकार्डिंग की सी0डी0 प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जिला कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।सी0डी0 के परीक्षणोपरान्त रिपोर्ट निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा शासन को प्रस्तुत की जायेगी।
7. पट्टाधारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार स्वीकृत 01 वर्ष की अवधि में आर0एल0 261.00 मी0 तक 14483.00 टन उपखनिज का खनन/चुगान किया जायेगा।
8. प्रस्तावित स्थल में उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का निर्धारण अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा।
9. पट्टाधारक स्वीकृत क्षेत्र से उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर का चुगान सतह से 1.5 मी0 की गहराई अथवा ग्राउन्ड वाटर लेबल जो भी न्यून हो, तक चुगान किया जायेगा।
10. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी का त्रैमासिक विवरण प्रपत्र एम0एम0–12 में जिलाधिकारी कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत करेगा।
11. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. पट्टाधारक स्वीकृत खनन क्षेत्र से उपखनिज की निकासी/परिवहन ई–रवन्ना प्रपत्र एम0एम0–11 पर करेगा।
13. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा जिससे कि पर्यावरण एवं परिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
अपर सचिव।

संख्या 1766/VII-1/18–107ख/2016तद्दिनांकित

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 30.05.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री मनिन्दर सिंह पुत्र श्री गुरूदीप सिंह, निवासी ग्राम शेरगढ़, पोस्ट माजरी, तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।